रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1977/चैत्र 9, 1899
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1977/CHAITRA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March 1977

S.O. 278(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No S.O 1482, dated the 31st March, 1971, read with the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies No. S O 184(E), dated the 9th March, 1976 and the Ministry of Industry No. S.O 242(E), dated 18th March, 1977 the management of the industrial undertaking known as Messrs Gresham and Craven of India Private Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) had been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 31st day of March, 1978,

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S O 555(E), dated the 14th August, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), read with the orders of the Government of India in the late Ministry of Heavy Industry Nos S.O 436(E), dated the 10th August, 1973, 490(E), dated the 9th August, 1974, 434(E) dated the 14th August, 1975 and 260(E), dated the 30th March, 1976, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 18FB of the said Act, declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the

said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 31st day of March, 1971, shall remain suspended upto the 30th of March, 1977,

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period upto the 13th of August, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period upto and inclusive of the 13th of August, 1977.

[No. 4/8/76-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1977

का०आ० 278(अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 184(अ) तारीख 9 मार्च, 1976 तथा उद्योग मत्रालय के का० आ० सं० 242(अ), तारीख 18 मार्च, 1977 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 1482, तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा, मैसर्स ग्रेशम एण्ड त्रेबन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 31 मार्च, 1978 तक के लिए, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और भारत सरकार के भूतपूर्व भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 436(अ), तारीख 10-8-1973, 490(अ), तारीख 9-8-1974, 434(अ), तारीख 14-8-1975 और 260(अ), तारीख 30-3-1976 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मत्रालय के आदेश स० का० आ० 555(अ), तारीख 14-8-1972 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया गया था कि उन सभी सविदाओं, सपत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतो, पचाटों, स्थायी आदेशो या अन्य लिखतों का, जो प्रवृत्त हों तथा उक्त औद्योगिक उपक्रम जिसमे पक्षकार हो अथवा जो उसे 31 मार्च, 1971 से ठीक पूर्व लागू हो सकती हों, प्रवर्तन 30 मार्च, 1977 पर्यन्त स्थगित रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 13 अगस्त, 1977 तक की और अवधि के लिए विस्तारित की जानी चाहिए ,

अतः, अब, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश की अवधि 13 अगस्त, 1977 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए विस्तारित करती है ।

[सं० 4(8)/76-सी यू सी]

अ० कु० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977